



1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- दौसा में श्री विष्णु कुमार मीणा (प्राइवेट व्यक्ति) को सीओ महुआ जिला दौसा के लिए 55,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 17 मई, शनिवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी दौसा द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री विष्णु कुमार (प्राइवेट व्यक्ति) को सीओ महुआ जिला दौसा के लिए 50,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि एसीबी चौकी दौसा को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी से उनके बेटे के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में मदद करने व गिरफ्तारी में समय देने के नाम पर श्री रमेश तिवाड़ी वृत्ताधिकारी वृत्त कार्यालय महुआ जिला दौसा द्वारा विष्णु कुमार मीणा के मार्फत 2,50,000/- रुपये की रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है जिनमें शिकायत का सत्यापन करवाये जाने से पूर्व ही श्री विष्णु कुमार द्वारा 1,50,000/- रुपये परिवादी से प्राप्त कर 1,00,000/- रुपये की रिश्वत राशि की और मांग कर अपनी मांग अनुसार शेष रिश्वत राशि में से 50,000/- रुपये प्राप्त करने के साथ आरोपी श्री विष्णु कुमार मीणा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। श्री विष्णु कुमार द्वारा वृत्ताधिकारी वृत्त महुवा श्री रमेश तिवाड़ी एवं उनके रीडर श्री रामदेव से परिवादी के बेटे के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में मदद के लिए लगातार वार्तालाप की जा रही थी। इनकी भूमिका की जांच जारी है।

जिस पर एसीबी रेंज जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ श्री अनिल कयाल के सुपरविजन में एसीबी चौकी दौसा के उप अधीक्षक पुलिस श्री नवल किशोर टीएलओ एवं अन्य ने ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री विष्णु कुमार मीणा (प्राइवेट व्यक्ति) द्वारा सीओ महुवा जिला दौसा के लिए परिवादी से 50,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।